UPAG010059872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 2537/2026

श्रीमती राधा देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद पुत्री स्व0 उदय सिंह निवासी– चकनूपुरा सैंया थाना सैंया, आगरा उम्र करीब 28 वर्ष

..... अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 478/2024
धाराः 61(2),319(2),336(3),338,318(4)
भारतीय न्याय संहिता
थानाः मलपुरा,जिला आगरा

दिनांकः 12.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता श्रीमती राधा देवी की ओर से मु0अ0सं0 478/2024 अन्तर्गत धारा 61(2),319(2),336(3),338,318(4) भारतीय न्याय संहिता थाना मलपुरा, जिला आगरा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्ता के पति दुर्गाप्रसाद ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता की शादी करीब 11 वर्ष पूर्व हुई थी तथा वह तभी से अपनी ससुराल में रह रही है। अभियुक्ता का अपने मायके सह अभियुक्ता मुन्नी देवी के घर यदा कदा ही आना जाना होता है। सत्यता यह है कि वादिनी, अभियुक्ता की सगी बहन है तथा उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली है। वादिनी अचानक अभियुक्ता की मां के पास अगस्त 2024 में आई और कहा कि उसे पैसों की जरूरत है,

उसने अभियुक्ता की मां मुन्नी देवी से दो लाख रूपये लेकर उसके पक्ष में दान पत्र करने का प्रस्ताव दिया। अभियुक्ता की मां ने पुत्री मोह में आकर दो लाख रूपये उसे दे दिये तथा भूमि का 1/7 भाग अपने नाम करा लिया। वादिनी द्वारा स्वयं ही रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर दान पत्र निष्पादित किया गया है। तदुपरान्त उसे लालच हो जाने के कारण पुनः उक्त भूमि का अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग अपने चाचा मुकेश कुमार को दस लाख रूपये में विक्रय कर दिया गया। प्रकरण में सह अभियुक्तगण मुन्नीदेवी तथा अंकित की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्ता दिनांक 24.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी श्रीमती प्रागदेवी उर्फ प्रिया द्वारा धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसके पास उसके पुश्तैनी गांव में पैतृक संपत्ति मौजा रमपुरा आगरा में स्थित खाता संख्या 00092 खसरा संख्या–74 रकवा 0.1850 हैक्टेयर में से 1/7 भाग की स्वामिनी थी। उक्त जमीन का उसकी बहन राधा ने छल करके षडयंत्र के तहत उसके फर्जी दान पत्र पर फोटो एवं अंगूठा निशानी लगाते हुए दान पत्र अपनी मां श्रीमती मुन्नी देवी के नाम दिनांक 06.08.2024 को निष्पादित कर पंजीकृत कराया गया। उसकी बहन राध ने स्वयं को प्रिया नाम से फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर अपना स्वयं का फोटो लगाकर अपाने भाई सचिन, पड़ौसी अंअिकत के साथ मिलकर उसकी जमीन को अपनी जमीन दर्शित करते हुए श्रीमती मुन्नीदेवी के नाम दान पत्र पंजीकृत करा दिया, जो पूर्ण रूप से फर्जी है।

वादिनी के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर थाना मलपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 478/2024 अन्तर्गत धारा 61(2),319(2),336(3),338,318(4) भारतीय न्याय संहिता अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा एवं वादिनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, आगरा के तर्को को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्ता राधा देवी द्वारा वादिनी के रूप में स्वयं को प्रतिरूपित करते हुए सह अभियुक्ता मुन्नीदेवी के पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया जाना आक्षेपित है।

तत्सम्बन्ध में वादिनी द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में यद्यपि प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है, परन्तु विवेचक द्वारा पूछे जाने पर वादिनी द्वारा कहा गया है कि वर्तमान समय में खसरा संख्या–74 रकबा 0.1850 हैक्टेयर में उसके द्वारा बताये गये 1/7 भाग को उसे तथा उसकी बहन प्रीति एवं भाई सचिन ने भी बाद में अपने अपने हिस्से का बैनामा चाचा मुकेश को कर दिया है, उक्त सारी जमीन इस समय चाचा मुकेश के ही कब्जे में है। यह मुकदमा तो उसके द्वारा इसलिए लिखवाया गया है कि कोई उससे यह नहीं कहे कि उसने बैनामे गलत किये थे।

इसी अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि कथित दानपत्र पर अंकित वादिनी के कथित कूटरचित/फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा द्वारा इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि भेजे गये प्रलेखों में विवादित हस्ताक्षरों के संबंध में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विवादित हस्ताक्षर कौन से हैं। अतएव दैनिक कार्यकलाप से सम्बन्धित प्रपत्र आहूत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के मध्य यह निर्विवादित है कि आवेदिका/अभियुक्ता, वादिनी की बहन है एवं दोनों के मध्य संपत्ति को लेकर विवाद है। इसके सापेक्ष वादिनी द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा अपने हिस्से की जमीन को अपने चाचा मुकेश को विक्रय की जा चुकी है। वादिनी द्वारा प्रश्नगत दानपत्र को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण श्रीमती मुन्नीदेवी एवं अंकित की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदिका/अभियुक्ता का महिला होना एवं उसे दिनांक 24.05.2026 से कारागार में निरूद्ध होना कहा गया है। अभियोजन की ओर से आवेदिका/अभियुक्ता की अन्य कोई आपराधिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। निर्विवादित रूप से आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों तथा अभियुक्ता के महिला होने को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार

उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होते हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **श्रीमती राधा देवी** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदिका/अभियुक्ता **राधा देवी** द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(**संजय कुमार मलिक**)
सत्र न्यायाधीश
आगरा।
12.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.15 06:59:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court